

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक: एफ.3(1)(31) 1/निर्वा/2018/ 10207

दिनांक : 15-11-2018

प्रेषक: मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान जयपुर।

प्रेषित:

1. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल,
राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीकृत एवं गैर- मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल,
(समस्त) राजस्थान।

विषय :- विधानसभा आम चुनाव 2018 - माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 536/211 में अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकार्ड, यदि कोई हो, को प्रचारित करने बाबत दिये गये निर्देशों के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.09.2018 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 3/4/2017/एसडीआर वॉल्यूम-II दिनांक 10.10.2018 द्वारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं और प्रारूप 26 का संशोधित प्रारूप भी प्रेषित किया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त निर्देश सीधे ही समस्त राजनैतिक दलों को प्रेषित किए जा चुके हैं।

आयोग द्वारा उक्त पत्र दिनांक 10.10.2018 के संलग्न C-1 और C-2 फॉरमेट भी निर्धारित किये हैं। फॉरमेट C-1 में अभ्यर्थी के द्वारा अपने आपराधिक रिकार्ड की सूचना निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में एवं टी.वी. चैनलों में निर्धारित अवधि (दिनांक 23.11.2018 से 05.12.2018 तक) के दौरान तीन अलग-अलग तिथियों को प्रकाशित/प्रसारित की जायेगी। इसी प्रकार फॉरमेट C-2 में राजनैतिक दलों के द्वारा अपने अभ्यर्थियों के संबंध में आपराधिक रिकॉर्ड की सूचना राज्य में व्यापक रूप से प्रकाशित समाचार पत्रों एवं टी.वी. चैनलों में निर्धारित अवधि (दिनांक 23.11.2018 से 05.12.2018 तक) के दौरान तीन अलग-अलग तिथियों को प्रकाशित/प्रसारित की जायेगी। इसके अतिरिक्त राजनैतिक दलों द्वारा यह सूचना अपनी वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जायेगी। इस संबंध में विस्तृत निर्देश आयोग के उक्त पत्र दिनांक 10.10.2018 में वर्णित है।

C-1 और C-2 के फॉरमेट में सूचना कौन-कौनसे समाचार पत्रों में और कौन-कौनसे टी.वी. चैनलों में प्रकाशित की जायेगी, इस संबंध में आयोग द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3/4/2017/एसडीआर वॉल्यूम-II दिनांक 05.11.2018 के द्वारा FAQs के माध्यम से स्पष्ट किया है कि राज्य में व्यापक रूप से प्रकाशित समाचार पत्रों एवं प्रसारित टी.वी. चैनलों तथा विभिन्न जिलों/निर्वाचन क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों एवं टी.वी. चैनलों की

सांकेतिक सूची (Indicative List) तैयार की जायेगी।

153
16/11/2018

इस विषय में सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि वे अपने जिले में व्यापक रूप से प्रकाशित/प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों एवं टी.वी. चैनलों की एक सांकेतिक सूची (Indicative List) तैयार कर अपने जिले के समस्त रिटर्निंग अधिकारियों को उपलब्ध करा दें ताकि वे दिनांक 22.11.2018 को आवश्यक रूप से सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा सकें।


राजनैतिक दलों द्वारा अपने अभ्यर्थियों के संबंध में C-2 फॉरमेट में राज्य में व्यापक रूप से प्रकाशित/प्रसारित होने वाले समाचार पत्रों एवं टी.वी. चैनलों में सूचना प्रकाशित/प्रसारित की जायेगी, ऐसे समाचार पत्रों एवं टी.वी. चैनलों की सांकेतिक सूची (Indicative List) निम्न प्रकार है :-

<u>समाचार पत्र</u>	<u>टी.वी.चैनल</u>
1. राजस्थान पत्रिका	1. न्यूज 18 राजस्थान
2. दैनिक भास्कर	2. जी राजस्थान प्लस
3. दैनिक नवज्योति	3. फर्स्ट इंडिया
4. राष्ट्रदूत	4. इंडिया न्यूज
5. समाचार जगत प्रातः	5. समाचार प्लस, राजस्थान
6. प्रातःकाल	6. पत्रिका टी.वी.
7. Times of India	7. जन टी.वी.
8. Hindustan Times	8. दूरदर्शन राजस्थान
	9. ए वन टी.वी.

उक्त सूची के अनुसार समाचार पत्रों के राज्य में समस्त संस्करणों में एवं टी.वी. चैनलों में C-2 फॉरमेट में वांछित सूचना दिनांक 23.11.2018 से 05.12.2018 तक की अवधि के दौरान अलग-अलग तीन तिथियों को प्रकाशित/प्रसारित की जानी है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

भवदीया,


(डॉ. रेखा गुप्ता)

अति. मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

श्रीमान् राज्य सचिव,
भारत की कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी,
जयपुर राजस्थान।

विषय : प्रार्थी के विरुद्ध लम्बित अपराधिक मामलों की सूचना।

श्रीमान्,

श्रीगंगानगर जिले में वर्ष 2004 से लगातार सिचाई पानी को लेकर गंगनहर, भाखड़ा व आई जी एन पी के प्रथम चरण में किसान आन्दोलन जारी है। वहीं फसल के न्यूनतम समर्थन मुल्य, ऋण मुक्ति को लेकर भी व्यापक सघर्ष हुए है तथा जनता की बुनियादी सुविधाओं जैसे शिक्षा, चिकित्सा व सड़क आदि पेयजल के प्रबन्ध को लेकर भी सरकारों के खिलाफ जनता ने आन्दोलन किये है।

श्रीमान् माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रार्थी के विरुद्ध लम्बित अपराधिक मामलों की सूची निम्नानुसार है।

क्र.स.	पुलिस थाना एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	न्यायालय व मामला संख्या	धारा	रोपित दण्ड अधि
1	पुलिस थाना राजियासर 58/2016	एडीजे कोर्ट सुरतगढ़	147,148,149, 332,353,307, 309, IPC 3 PDPP ACT	आरोप विरचित नहीं
2	पुलिस थाना विजयनगर 312/2016	जे.एम. कोर्ट विजयनगर 459/2017	283,143 IPC	आरोप विरचित नहीं
3	पुलिस थाना समेजा कोठी 89/2014	ए.डी.जे. कोर्ट रायसिंहनगर 252/2014	307,336,332, 353,324,283, 147,148,149	आरोप विरचित नहीं

2-य/क

16/11/018

(1)

कृ.पू. ३०.....

4	पुलिस थाना समेजा कोठी 16/2013	जे.एम. कोर्ट रायसिंहनगर 112/2013	283,143 IPC	आरोप विरचित नहीं
5	पुलिस थाना घड़साना 251/2006	ए.डी.जे. कोर्ट घड़साना 23/2018	307,332,353, 336,341,147, 148,149,117 IPC	आरोप विरचित नहीं
6	पुलिस थाना घड़साना 151/2005	ए.डी.जे. कोर्ट घड़साना 100/2008	307,332,353, 121(क),116 120B,147,148 149,109,336, 188,283 3/6 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम	आरोप विरचित नहीं
7	पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर 527/2004	ए.सी.जे.एम कोर्ट श्रीगंगानगर 527/2004	332,353,336 504,143 IPC	आरोप विरचित नहीं है
8	पुलिस थाना कोतवाली श्रीगंगानगर 517/2004	ए.सी.जे.एम कोर्ट श्रीगंगानगर 75/2013	283,143 IPC	आरोप विरचित नहीं है
9.	शून्य	ग्राम न्यायालय अनूपगढ़ 101/2011	283,143 IPC	पी.ओ. का लाभ देते हुए परिविक्षा पर छोड़ा गया

रजिस्ट्रार

प्रेषक

16/11/018

शयोपत राम

प्रत्याशी, भारत की कम्युनिष्ट
पार्टी (मार्क्सवादी)
विधान सभा रायसिंहनगर
राजस्थान

श्रीमान राज्य सचिव महोदय
भारत की कम्यूनिष्ट पार्टी माकर्सवादी (सीपीआईएम)
जयपुर राजस्थान

विषय:- प्रार्थी के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों की सूचना देने बाबत।

श्रीमान जी,

उपरोक्त विषयन्तर्गत निवेदन है कि श्रीगंगानगर जिले के घडसाना उपखण्ड पर वर्ष 2004 से लेकर वर्तमान समय तक सिंचाई पानी को लेकर जन आन्दोलन चल रहा है अनदोलन के दौरान तत्कालीन सरकारों द्वारा इस जन आंदोलन को दबाने के लिये प्रार्थी व अन्य किसानों के विरुद्ध झुठे मुकदमें दर्ज किये गये जो कि वर्तमान में भी विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है चुंकि प्रार्थी भारत की कम्यूनिष्ट पार्टी माकर्सवादी (सीपीआईएम) की तरफ से विधायक के रूप में अनुपगढ विधानसभा से चुनाव लडना चाहता हूँ इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार प्रार्थी के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों की निम्न सूचना दी जा रही है:-

1. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 407/04 पुलिस थाना घडसाना अन्तर्गत धारा 307,332,353,147,148,149, 188 आई पी सी 27 आमर्स एक्ट न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश घडसाना, मुकदमा नं0 15/18
2. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 410/04 पुलिस थाना घडसाना अन्तर्गत धारा 307,332,353,147,148,149,188 आई पी सी 27 आमर्स एक्ट, 3 पीडीपीपी। न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश घडसाना, मुकदमा नं0 20/18
3. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 414/04 पुलिस थाना घडसाना अन्तर्गत धारा 435,336,452,147,148,149,आई पी सी 27 आमर्स एक्ट न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश घडसाना, मुकदमा नं0 21/18
4. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 151/05 पुलिस थाना घडसाना अन्तर्गत धारा 307,332,353,336,121-बी, 116,120-बी,109,147,148,149,188,283 आई पी सी 3/25, आमर्स एक्ट 3/6 विस्पोटक अधिनियम न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश घडसाना, मुकदमा नं0 100/18
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 363/06 पुलिस थाना अनुपगढ अन्तर्गत धारा 341/149,353/149,147 आई पी सी न्यायालय अतरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपगढ, द्वारा दोषसिद्ध ठहराये जाने के बाद माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायालय अनुपगढ में अपील विचाराधीन, प्रकरण संख्या 115/16
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 307/06 पुलिस थाना अनुपगढ अन्तर्गत धारा 307,332,353,333,336,382,383,283,147,148,149 आई पी सी न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अनुपगढ, मुकदमा नं0 6/15
7. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 401/09 पुलिस थाना घडसाना अन्तर्गत धारा 283,183 आई पी सी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट घडसाना, मुकदमा नं0 490/15
8. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 239/10 पुलिस थाना विछवाला अन्तर्गत धारा 353,504,143, आई पी सी 3(1),(10) अनसूचित जाति जनजाति अधिनियम न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीकानेर, मुकदमा नं0 183/12
9. प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 489/14 पुलिस थाना घडसाना अन्तर्गत धारा 283,183 आई पी सी न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट घडसाना, मुकदमा नं0 617/16

उक्त सूचना माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के निर्देशानुसार प्रेषित की जा रही है।

दिनांक:-12.11.2018



सादर
पवन कुमार दुग्गल
प्रत्याशी विधान सभा क्षेत्र अनुपगढ
राजस्थान विधान सभा

राज्य सचिव,

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी),

जयपुर (राजस्थान)।

विषय:- राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2018 में विधानसभा भादरा (011) के पार्टी के उम्मीदवार लम्बित एवं दोषसिद्ध आपराधिक मामलों की सूचना बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं विधानसभा भादरा (011) के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का उम्मीदवार घोषित हुआ हूँ। इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग निर्देशानुसार मेरे ऊपर लम्बित एवं दोषसिद्ध आपराधिक मामलों की सूचना उपलब्ध करवा रहा हूँ।

1. मेरे ऊपर लम्बित मामले निम्न प्रकार से है :- 13 (तेरह) मामले लम्बित हैं।

(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इतिहास रिपोर्ट सं०	1. थाना गोगामेड़ी जिला हनुमानगढ़ एफ.आई.आर. नं० 130/18 दि० 21.08.2018	2. थाना रींगस जिला सीकर एफ.आई.आर. नं० 0067/18 दि० 26.02.2018	3. थाना गोगामेड़ी जिला हनुमानगढ़ एफ.आई.आर. नं० 143/17 दि० 14.09.2017
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला संख्या	न्यायालय में आरोप पत्र पेश नहीं हुआ	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रींगस (सीकर)	न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर मामला सं० 220/18
(ग)	अंतर्विहित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएं (आय की सं० दे, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	धारा 283, 143 आई.पी.सी.	धारा 283, 143 आई.पी.सी.	धारा 283 आई.पी.सी.
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	दि० 21.08.18 को रामगढ़ गांव में एसबीआई बैंक के फसल बीमा क्लेम को लेकर किसानों के द्वारा रामगढ़ गांव में घरना प्रदर्शन व राइफ चक्का जाम किया था। उपरोक्त बाबत मुकदमा दर्ज किया गया।	दि० 22.02.18 को राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 62 अनाधिकृत रूप से रोके रखा। उपरोक्त बाबत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप पत्र में अभ्यर्थी अगियुक्त नहीं है।	दि० 14.09.17 को रामगढ़ बस अड्डा पर किसानों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम रामगढ़ में भादरा- नोहर रोड़ को जाम कर रखा था। उपरोक्त बाबत मुकदमा दर्ज किया गया।
(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इतिहास रिपोर्ट सं०	4. थाना गिरानी जिला हनुमानगढ़ एफ.आई.आर. नं० 188/17 दि० 18.08.2017	5. थाना तलवाड़ा जिला हनुमानगढ़ एफ.आई.आर. नं० 108/17 दि० 12.08.2017	6. थाना नोहर जिला हनुमानगढ़ एफ.आई.आर. नं० 131/17 दि० 08.03.2017
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला संख्या	न्यायालय में आरोप पत्र पेश नहीं हुआ	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टिब्बी मामला संख्या 621/17	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोहर मामला संख्या 647/18

लगातार...2

		(2)		
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएँ (धारा की सं० दे, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	धारा 283, 342, 143 आई.पी.सी.	धारा 283, 143 आईपीसी	धारा 283, 143 आई.पी.सी.
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	दि० 18.08.17 को ग्रामवासी डाबड़ी व बीबीपुर के द्वारा सरकारी अस्पताल डाबड़ी में डॉक्टर व स्टॉफ की कमी के कारण लोगों द्वारा भादरा-हिसार रोड़ पर सरकारी अस्पताल डाबड़ी के सामने मुख्य सड़क पर जाम लगा दिया। उपरोक्त बाबत मुकदमा दर्ज किया गया।	दि० 12.08.17 को मसीतावाली हैड के मुख्य पुल पर सभी किसान पानी छोड़ने की मांग को लेकर आकर बैठ गये। जिससे आवागमन में बाधा पैदा की। उपरोक्त बाबत मुकदमा दर्ज किया गया।	दि० 08.03.17 को रेलवे स्टेशन नोहर के सामने सड़क मेगा हाईवे पर किसान आन्दोलनकारियों ने सड़क पर लेटकर अवरोध कर वाहनों का आवागमन बाधित किया। उपरोक्त बाबत मुकदमा दर्ज किया गया।
(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इतिला रिपोर्ट सं०	7. थाना गोगामेड़ी जिला हनुमानगढ़ एफ.आई.आर. नं० 239/16 दि० 19.12.2016	8. थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ एफ.आई.आर. नं० 57/15 दि० 24.02.2015	9. थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ एफ.आई.आर. नं० 490/14 दि० 14.11.2014
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला संख्या	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा मामला संख्या 534/17	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा मामला संख्या 361/16	न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा मामला संख्या 110/15
(ग)	अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएँ (धारा की सं० दे, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	धारा 283 आई.पी.सी.	धारा 283, 147 आई.पी.सी.	धारा 283, 143 आई.पी.सी.
(घ)	अपराध का संक्षिप्त विवरण	दि० 19.12.16 को नोहर-भादरा रोड़ पर टोल नाके पर टोल फीस नहीं देने की मांग को लेकर भादरा-नोहर सड़क पर जाम लगाकर आवागमन बाधित किया। उपरोक्त बाबत मुकदमा दर्ज किया गया।	दि० 24.02.15 को मृतक शिशराम उर्फ पप्पू के हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सरकारी अस्पताल भादरा के सामने मुख्य मार्ग का आवागमन अवरुद्ध किया। उपरोक्त बाबत मुकदमा दर्ज किया गया।	दि० 14.11.14 को भादरा से मौजाना सड़क निर्माण की मांग को लेकर हिसार बाईपास चौराहा पर यातायात बाधित किया। उपरोक्त बाबत मुकदमा दर्ज किया गया।
(क)	संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इतिला रिपोर्ट सं०	10. थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ एफ.आई.आर. नं० 374/14 दि० 22.09.2014	11. थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ एफ.आई.आर. नं० 315/10 दि० 30.06.2010	12. थाना भादरा जिला हनुमानगढ़ एफ.आई.आर. नं० 221/10 दि० 10.05.2010
(ख)	न्यायालय के नाम के साथ मामला संख्या	न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा मामला संख्या 111/15	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा मामला संख्या 763/10	अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भादरा मामला संख्या 18/11

लगातार...3

(3)

अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएँ (धारा की सं० दे, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	धारा 283, 143 आई.पी.सी.	धारा 283, 143 आई.पी.सी.	धारा 283, 143 आई.पी.सी.
अपराध का संक्षिप्त विवरण	दि० 22.09.14 को भादरा-हिसार रोड निर्माण की मांग को लेकर हिसार बाईपास रोड चौराहा पर चक्का जाम कर आवागमन बाधित किया। उपरोक्त बाबत मुकदमा दर्ज किया गया।	दि० 20.09.10 साहवा से भादरा सड़क आम के बस स्टैंड घोटडा पट्टा पर यातायात बाधित किया। उपरोक्त बाबत मुकदमा दर्ज किया गया।	दि० 16.09.10 को भादरा-मुदेसा सड़क परी के चौडा व सुदुकिताम की मांग को लेकर अपर सिड क्रॉस पुलिया पर आवागमन रोक दिया। उपरोक्त बाबत मुकदमा दर्ज किया गया।
(क) संबद्ध पुलिस थाने के नाम और पते के साथ प्रथम इतिहास रिपोर्ट सं०	13, थाना रावतसर जिला हनुमानगढ़ एफ.आई.आर. नं० 252/09 दि० 08.07.2009		
(ख) न्यायालय के नाम के साथ मामला संख्या	न्यायिक मजिस्ट्रेट, रावतसर मामला संख्या 515/09		
(ग) अंतर्वलित संबद्ध अधिनियमों/संहिताओं की धाराएँ (धारा की सं० दे, अर्थात् भारतीय दंड संहिता, आदि की धारा.....)	धारा 283, 143 आई.पी.सी.		
(घ) अपराध का संक्षिप्त विवरण	दि० 08.07.09 को किसान मजदूर संघर्ष समिति द्वारा मौजा चाईया में रावतसर-नोहर सड़क आम पर टायर आदि डालकर मार्ग को अवरोधित किया। उपरोक्त बाबत मुकदमा दर्ज किया गया।		

2. मेरे ऊपर दोषसिद्धि के मामले - मुझे किसी आपराधिक मामले में दोषसिद्ध नहीं किया गया है। 00 (शून्य)

उपरोक्त सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

भवदीय



बलवान पुत्र श्री छोटूराम
नि० ग्राम पो० मलखेडा
तह० भादरा जिला हनुमानगढ़
(राजस्थान) 335511
उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र भादरा(011)